(5) वित्त अधिनियम, 1964 की धारा 58 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत दिनांक 17 फरवरी 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 272 की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०—3850/65]**

(6) वित्त अधिनियम, 1964 की धारा 62 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत दिनांक 17 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 276 की एक प्रति ।

[पस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०—3851/65]

(7) वित्त अधिनियम, 1964 की धारा 62 की उप-धारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय-उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के नियम, 8(1) के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित सूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक 17 फरवरी, 1965 की जी० एस० आर० 277 ।

(दो) दिनांक 17 फरवरी, 1965 की जी० एस० आर० 278 ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०—3852/65]

गोवा-दमन और दीव के विलय के सम्बन्ध में ध्यान दिलाने वाले सूचना के बारे में व्यवस्था का प्रश्न

POINT OF ORDER RE: CALLING ATTENTION ON MERGER OF GOA, DIU AND DAMAN

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I have sent the notice of caling attention regarding the merger of Goa, Diu and Daman, as Goa Legislative Assembly has passed the resolution demanding the merger of Goa with Maharashtra and Daman, Diu with Gujrat, other members have also signed it, but I have been told that it has not been accepted. I think it is a very important matter and should be taken under the calling attention to matter of public importance. Then I also gave the notice of short notice question that was also not kept in the list. My point of order is that until this question is include into the Question List, the list should not be published.

Mr. Speaker: There is no question of any point of order in this matter so rule has been violated. Nothing need to be done in this matter.

Shri Madhu Limaye: All right sir.

भाषा के मामले पर वक्तव्य

STATEMENT RE: *LANGUAGE ISSUE*

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): भाषा के प्रश्न पर विचार करने के लिये 23 और 24 फरवरी, 1965 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ । सम्मेलन में इस बात पर बहुत खेद व्यक्त किया कि किसी प्रकार की शिकायतों की ओर ध्यान

दिलाने के उद्देश्य से लोगों को हिंसा के लिये भड़काया जाए। इस प्रकार की स्थिति का मुकाबला बड़ी कड़ाई से किया जाना चाहिये। इस प्रकार के कृत्य तो लोकतन्त्र की जड़ें ही काट देंगे। चाहिये यह कि सभी पक्ष बातचीत द्वारा समस्याओं का हल निकालें।

साथ ही सम्मेलन ने यह भी स्वीकार किया कि वास्तविक कठिनाइयों को और अधिक भ्रामक प्रचार के कारण पैदा होने वाली निराधार आशंकाओं को जल्द दूर किया जाना चाहिए। सम्मेलन ने उन बातों की याद दिलाई जिनके द्वारा दीर्घकालीन उद्देश्यों और उनकी ओर सतर्कता के साथ बढ़ने की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया है। इस विषय में संविधान के उपबन्ध राजभाषा अधिनियम, तीन भाषाओं को शिक्षा का आधार बनाने का निर्णय और वे आश्वासन जो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोक सभा में दिये थे और जिन्हें राष्ट्र के नाम 11 फरवरी, 1965 को मेरे द्वारा दिये गये मेरे एक रेडियो भाषण में दुहराया गया था और जिनकी व्याख्या की गयी थी, है।

हिन्दी संघ की राज भाषा है और अंग्रेजी उसकी एक सहभाषा बनी रहेगी। इन मूल निर्णयों में फेर-बदल करने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि केवल इन्हीं तथ्यों के आधार पर एक ठोस नीति बन सकती हैं। विचारनीय बातें तो इन फैसलों से उत्पन्न होने वाले कुछ व्यावहारिक प्रश्न हैं जिन में राजभाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन और उक्त आश्वासनों का पूरा किया जाना है। मुख्य मंत्री इस बात पर सहमत थे कि इन प्रश्नों की जांच की जानी चाहिए। इस बात का भी उल्लेख किया गया कि विभिन्न राज्यों को अखिल भारतीय सेवाओं में न्याय पूर्ण भाग प्राप्त हो। यह अनुरोध किया गया कि प्रादेशिक भाषाओं को अखिल भारतीय और उच्चत्तर केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिये माध्यम बनाने के प्रश्न पर गौर किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता के विषय पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने जो त्रिभाषायी सूत्र बनाया था, सम्मेलन में उस सूत्र के कार्यकरण पर भी विचार किया गया। यह फैसला किया गया कि इस सूत्र पर सक्रिय रूप में अमल होना चाहिये। यह अनुरोध किया गया कि राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने तथा देश के विभिन्न भागों के लोगों में परस्पर सम्यग रूप में पत्र व्यवहार की व्यवस्था करने के उद्देश्य से हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा, विशेषत: दक्षिण की किसी भाषा और अंग्रेजी के अध्ययन को बढ़ाया जाय तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी और संबंधित प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त हिन्दी के अध्ययन को बढ़ाया जाय। उपरोक्त निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये संघ सरकार अपेक्षित कार्यवाही करेगी।

श्री नाथ पाई : क्या मुख्य मंत्रियों की ओर से राष्ट्रीय एकता परिषद् जैसी संस्था को उभार कर लोगों में राष्ट्रीय चेतना निर्माण करने का कार्य किया जायेगा, ताकि समस्त जटिल तथा नाजुक समस्याओं का सन्तोषजनक हल किया जाय। वैसे कांग्रेसी मुख्य मंत्री सब के प्रतिनिधि थोड़े ही हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं इस से सहमत नहीं हूं कि कांग्रेसी मुख्य मंत्री केवल कांग्रेस दल के प्रतिनिधि हैं। वे कांग्रेस दल के ही प्रतिनिनिधि हों परन्तु सारे राज्य के

प्रशासन प्रमुख तो है । मैं शीघ्र ही संसद् के विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक भी बुलाऊंगा। हम राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक भी बुलायेंगे ।

श्री रंगा : हम यह तो चाहते हैं कि देश में राष्ट्रीय ऐक्य हो परन्तु राष्ट्रीय एकता का परिषद् का ढंग हमें पसन्द नहीं है । परिषद् का कार्य दलों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये । सभी प्रमुख तत्वों और व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए । आज जो संकट हमारे समक्ष आकर खड़ा हो गया है उसके लिए भी हमारे अपने लोग ही उत्तरदायी हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री इस बात को अपने समक्ष रखें ।

मेरे विचार में ये मुख्य मंत्री त्रिभाषा सूत्र पर एक मत हुए दिखाई देते हैं । इस में हमें क्या आपत्ति हो सकती है , परन्तु उस में भी तनिक सचेत रह कर काम करना होगा । इसके कारण ही गड़बड़ हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय: मेरा निवेदन है कि यह समय सुझाव देने का नहीं , केवल स्पष्टीकरण है ।

श्री रंगा : क्या उन लोगों को रिहा कर दिया जायेगा जिन्हें कि भाषा आन्दोलन में गिरफ्तार किया गया था ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : रिहाई का प्रश्न तो राज्य सरकार ही तय कर सकती है, वह इस दिशा में कार्यवाही करेगी ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता केन्द्र): इस मामले पर हम संसद् में भी चर्चा कर चुके हैं । हमें इस बात की आशा थी कि इस दिशा में सरकार अल्प और दीर्घकालीन ठोस पग उठायेगी । परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार का ऐसा विचार लगता नहीं । केवल इतना ही कहा गया है कि दलीय नेताओं की एक बैठक बुलाई जायेगी और परामर्श किया जायेगा । परन्तु मेरा निवेदन पहले उस गर्मी को दूर किया जाना चाहिए जो कि पिछले दिनों पैदा हो गयी थी । यदि ऐसा न किया गया तो दीर्घकालीन कार्य-क्रम भी सफल नहीं हो सकेगा । मेरा मत्त यह है कि प्रधान मंत्री महोदय ने तमिलनाड और देश के अन्य भागों में जो जजबात भड़के थे उन के लिए कुछ भी नहीं किया है । इस दिशा में किसी प्रकार की न्यायिक जांच इत्यादि करवाने का कोई इरादा प्रधान मंत्री का दिखाई नहीं देता ।

प्रिय मित्र श्री नाथ पाई ने राष्ट्रीयता परिषद् का उल्लेख किया है । इस प्रका की बात दीर्घ कालीन है और प्रधान मंत्री की राय इस के पक्ष में है । परन्तु श्री रंगा ने भी ठीक ही कहा है कि इस तरह के सम्मेलन कुछ औपचारिक रूप धारण कर लेते हैं। इस में केवल राजनीतिक दलों के लोगों को ही न लाकर वैज्ञानिकों, कला-कारों, संगीतज्ञों तथा लेखकों को आगे लाना चाहिए : देश में राष्ट्रीय एकता और संगठन हो इस के लिए आन्दोलन तो होना ही चाहिए । मुख्य मंत्रियों से तो यह आशा करनी चाहिये कि वे भाषा समस्या को सुलझाने के लिए कोई राज मर्मज्ञों वाली बात करेंगे, परन्तु प्रधान मंत्री के भाषण से ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता ।

श्री बैरो (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय): मैं जानना चाहता हूं कि राज भाषा अधिनियम में क्या संशोधन करने का निर्णय हुआ है । क्या विभिन्न राज्यों को सेवाओं के लिये कोटा निर्धारित किया जायेगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस बारे में मामले का परीक्षण करना होगा। विभिन्न राज्यों को सेवाओं में कोटा निर्धारित का प्रश्न भी गम्भीरता से सोचने वाला है । सरकार इस पर विचार करेगी ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बहरामपुर): क्या यह ठीक है कि श्री अ० कु० सेन तथा गृह-कार्य मंत्रियों के सुझावों पर विचार किया गया था ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : कोई ऐसी बात नहीं ।

Shri Yudvir Singh (Mohendragarh): Whether this was also stated by some Chief Ministers that English should continue indefinitely.

Mr. Speaker: I cannot allow this question. Particular Chief Minister may have laid anything. I will request the members they may not raise debatable points.

श्री मनोहरन (मद्रास दक्षिण): मुझे मुख्य मंत्रियों के निर्णय के बारे में कुछ नहीं। कहना है, मुझे केवल निवेदन करना है कि अब सारा दक्षिण भारत शान्त है । परन्तु राज्य सरकार द्रविड़ मुनेत्र कषगम के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है । विधान सभा तथा नगर निगमों के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है । क्या सारे देश में शांति स्थापित करने की दिशा में प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री. कुछ कर रहे हैं ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे खेद हैं कि मुझे इन बातों का विस्तार से पता नहीं। मामला राज्य सरकार द्वारा निपटाया जाना चाहिए । फिर भी मैं मुख्य मंत्री से जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री मनोहरन : मद्रास के मुख्य मंत्री आजकल राजधानी में ही हैं ।

डा० मा० श्री अण (नागपुर): मुख्य मंत्रियों को निर्णयों को सदन के समक्ष चर्चा का विषय बनाने का. उद्देश्य क्या है । क्या सदस्यों की सहायता से सरकार उन पर और आगे विचार करना चाहती है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा बजट पर चर्चा के समय इन प्रस्थापनाओं का उल्लेख हो सकता है । परन्तु सदस्यों का सहयोग तो हमें सदा अपेक्षित है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Whether Government are thinking to have any amendment in the Official Language Act, which actually was passed in order to give assurance to South that Hindi will not be imposed on anybody. Any decision to their effect has been taken at the Chief Ministers' Conference.

Shri Lal Bahadur Shastri: This was only consultation, the decision will be ultimately taken by the Parliament.